R 5237 II/115

Rs-301-

(41)

श्री ओ. एन. मिश्रा एड. के द्वारा आज दिनांक 16-12-15 प्रस्तुत किया गया।

रीडर

सर्किट कोर्ट रीवा

1. राघवेन्द्र,
2. जानकी,
3. गोपाल शरण

तीनों के पिता कैलाश प्रसाद,

निवासीगण ग्राम पड़रा, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा, (म.प्र.)

.... आवेदकगण

बनाम

1. सुशील प्रसाद अग्निहोत्री पिता रमाकान्त अग्निहोत्री,
2. रमेश पिता नागेन्द्र प्रसाद,
3. शान्ती बेवा शत्रुधन प्रसाद,
4. प्रमोद पिता नागेन्द्र,
5. हेम्मा पुत्री नागेन्द्र प्रसाद,
6. शशिकला पुत्री नागेन्द्र प्रसाद,
7. राजेश्वर प्रसाद पिता गरुण प्रसाद,
8. राजभान,
9. सुंदरलाल,
10. सुरेश,
11. विश्वनाथ,
12. कुइस,
13. चन्द्रवती,

उक्त क्र. 8 ता 13 के पिता लंगड़ प्रसाद

14. उदय प्रताप,
15. कौशलेश प्रसाद,

क्र. 14 एवं 15 के पिता गिरिजा प्रसाद,

ONMishra

16. सुमेश्वर,

17. आत्मा,

18. छोटेलाल,

क्र. 16 ता 18 के पिता बालेन्द्र प्रसाद,

19. उमाशंकर,

20. सोमदत्त,

दोनो क्र. 19 व 20 के पिता दुनगी,

21. भुवनेश्वर प्रसाद पिता गया प्रसाद,

22. रामभरोसे पिता उपेन्द्रदत्त राम,

23. चन्द्रिका,

24. गेंदउआ,

क्र. 23 व 24 के पिता जानकी प्रसाद,

25. रामसूरत पिता गोरख प्रसाद,

26. ज्ञानेन्द्र प्रसाद पिता हनुमान प्रसाद,

27. केमलाकान्त,

28. रमाकान्त,

दोनो के पिता ओंकार प्रसाद,

उक्त सभी क्र. 1 ता 28 निवासीगण ग्राम पड़रा, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा, (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध निर्णय एवं आदेश अपर कलेक्टर रीवा, जिला रीवा (म.प्र.) दिनांक 30.10.2015 जो उनके द्वारा प्र.क्र. 753/अ–27/2005–06 में पारित किया जाकर आवेदकगण की निगरानी निरस्त की गई।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

मान्यवर,

आवेदकगण की निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निग0 5237–दो/2015 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश राघवेन्द्र बगैरह विरूद्ध सुशील प्रसाद	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–11–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री के0एन0मिश्रा उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। यह निगरानी अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण कमांक 735/अ–27/05–06 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें दुहराए जाने की आवश्यकता नहीं हैं किन्तु उन पर विचार किया जारहा है। प्रकरण में निगरानी मेमो के संलगन अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करते हुए प्रकरण के संलग्न तहसीलदार के आदेश दिनांक 31.08.06 की प्रमाणित प्रति की छाया प्रति का भी अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 31.08.06 से विवाद का अंतिम रूप से निराकरण न करते हुए प्रकरण को प्रचलन योग्य मान कर मात्र पक्षकारों की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं उनके प्रतिपरीक्षण हेतु नियत किया गया है। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जहां पर अपर कलेक्टर द्वारा विचारोपरांत प्रकरण में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 31.10.15 पारित कर तहसीलदार के आदेश दिनांक 31.08.06 को सही ठहराते हुए स्थिर रखा जाकर प्रकरण तहसीलदार को	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश राघवेन्द्र बगैरह विरूद्ध सुशील प्रसाद	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	2	

आवश्यक कार्यवाही हेतु वापिस किए जाने का आदेश दिया गया है। यहां यह तथ्य विचारणीय है कि तहसीलदार एवं अपर कलेक्टर के आक्षेपित आदेश से किसी भी पक्ष के हित अनुचित रूप से प्रभावित नहीं हो रहे हैं इसके साथ ही उभयपक्ष को तहसीलदार के समक्ष अपने अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध है जहां उभयपक्ष अपना पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में अपर कलेक्टर के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30.10.15 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। प्रकरण में उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राह्यता का पर्याप्त सारभूत आधार न होने से इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जावें। प्रकरण दा.रि.हो।

सदस्य